राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

कमांक : एफ.18(आई–66)निजभूस / आईडब्ल्यूएमपी / 2010–11 / 1212-1759   दिनांक : 16-5-12

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश कमांक एफ.18(I-66) निजभूसं / आई.डब्ल्यू.एम.पी. / 4721–5178 दिनांक 8.03.11 के द्वारा एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यकम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं मे ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जलग्रहण स्थाई समिति द्वारा निर्माण सामग्री बी.एस.आर. दर पर कय करने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त प्रकिया में संशोधन करते हुय आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में निर्माण सामग्री कय करने की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

1. सर्वप्रथम परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा सार्वजनिक / राजकीय भूमि में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों हेतु वर्षभर में आवश्यक सामग्री का आंकलन एकसाथ कर सामग्रीवार आवश्यकता की गणना की जायेगी।

2 सामग्रीवार आवश्यक मात्रा की आपूर्ति हेतु जी.एफ.एण्ड ए.आर. में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप पी. आई.ए. द्वारा नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।

3. प्राप्त निविदाओं को खोलने एवं नियमानुसार निविदा को अन्तिम रूप देने हेतु परियोजना कियान्वयन एजेन्सी स्तर पर निम्नानुसार तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है :–

   (i) परियोजना कियान्वयन एजेन्सी ।
   (ii) पंचायत समिति मे कार्यरत लेखाकार ।
   (iii) जिला स्तर पर गठित वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर का प्रतिनिधि, जो कि सहायक अभियन्ता स्तर से नीचे का अधिकारी ना हो।

4. यदि वास्तविक प्राप्त दरें जिले की निर्धारित बी.एस.आर. दरों से कम अथवा समान हो तो दरें सम्बन्धित पी.आई.ए. द्वारा अनुमोदित की जाएगीं। यदि वास्तविक प्राप्त दरें जिले की निर्धारित बी.एस. आर. दरों से 10% तक अधिक पायी जाती है तो बढ़ी हुई दर परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर द्वारा जांच पश्चात उचित पाये जाने की दशा में अनुमोदित की जायेगी। यदि वास्तविक दरें बी.एस.आर. दरों से 10% अधिक एवं 25% से कम पायी जाती है तो बढ़ी हुई दर जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति द्वारा जांच पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित की जायेगी।

5. उपर्युक्त प्रकिया के अनुरूप दरें निर्धारित होने पर सामग्री की आपूर्ति उप समिति (जलग्रहण) द्वारा प्राप्त की जायेगी।

6. सामग्री आपूर्ति के उपरान्त ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण सामग्री कय करने हेतु गठित जलग्रहण स्थायी समिति के लिखित संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच, उप समिति (जलग्रहण) के सचिव एवं पी.आई.ए. में कार्यरत कनिष्ठ / सहायक अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा सम्बन्धित फर्म को अकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

–2–

सार्वजनिक/राजकीय भूमि पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यो हेतु सामग्री का कय उपर्युक्त प्रकिया अनुसार किया जावेगा। निजी भूमि पर सम्पादित कार्यों हेतु सामग्री का कय स्वयं लाभार्थी द्वारा अनुमोदित निविदा दरों की सीमा में किसी भी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से कय किया जा सकता है एवं इसका भुगतान ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जलग्रहण स्थायी समिति की संस्तुति के उपरान्त किया जा सकेगा।

विभागीय आदेश कमांक एफ18(आई.-41)निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2011-12/792-1137 दिनांक 10.05.12 द्वारा आई.डब्लयू.एम.पी. के प्रयोजनार्थ परियोजना कियान्वयन संस्था (पी.आई.ए.) को कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जा चुका है।

अतः सभी पी.आई.ए. दिनांक 30.06.12 तक उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रकिया के अनुसार निर्माण सामग्री हेतु निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना सुनिश्चित करेगें एवं दिनांक 1.07.12 से निर्माण सामग्री की आपूर्ति बी.एस.आर. दर पर नही की जाकर उपर्युक्त प्रकिया अनुसार की जावेगी।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

कमांक : एफ.18(आई-66)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/2010-11/ 1212-1759 दिनांक : 16-5-12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अध्यक्ष, एस. एल.एन.ए. राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर,..........
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...
7. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर
9. उप निदेशक, आई.डब्ल्यू.एम.पी.- I,II,III, IV,V VI & VII, /परियोजना अधिकारी(भू-संसाधन), निदेशालय, जयपुर ।
10. समस्त परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद, ...
11. समस्त लेखाधिकारी जिला परिषद ....
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति ....
13. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. सम्बंधित पंचायत समिति ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (SLNA)
एवं निदेशक